Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

\# 2024/365

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....बयाना..............................

लक्ष्मी..बनाम ....प्रेमसिंह वगै0 ....

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं. 201/24 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
06.08.2024	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1089 रकवा 0.34 हैक्ट.वाके ग्राम परौआ तहसील बयाना स्थित है में प्रार्थीनी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें। फसल को चोरी कर काट कर ना ले जावें। हिस्से की आराजी में किसी प्रकार कब्जा नहीं करें। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। साथ ही प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः अप्राथीगण के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 20.09.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1089 रकवा 0.34 हैक्ट.वाके ग्राम परौआ तहसील बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण / रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20.09.2024 को पेश हो।	

10/7/25 — प्र० प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी के अनुपस्थित प्रार्थी
की तामील रिपोर्ट प्राप्त नहीं
पाया गया है। अतः पुनः तामील
अप्रार्थी दि. 12/12/25 को पेश हो
जरिये आदेश

पीठासीन अधिकारी ....
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/25 को पेश।
रीडर
सी./एस.डी.एम

12/12/24

17/6/25 — तनुजाय उपस्थित प्रार्थी बाबत
आदेश ... ...
दि. ... दि. 16/6/25 को पेश हो

16/6/25 — तनुजाय उपस्थित प्रार्थी अनुपस्थित
दिनांक 19/8/25 को पेश हो

जरिये आदेश

पीठासीन अधि...
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/25 को पेश है।
रीडर
एस.डी.एम.

19/8/25

21/8/25 प्रकरण आज समक्ष प्रार्थिया हाजिर ... प्रार्थिया पत्र के आधार पर ... प्रार्थिया ... किया। प्रार्थिया ... पेश कर दिया ... किया है कि ... आपस में राजीनामा हो गया है। प्रार्थिया अब अपना प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहती है। प्रार्थिया ... प्रार्थिया ... समाप्त करने का निवेदन किया। ... अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया, प्रार्थिया के द्वारा प्रस्तुत ... के आधार पर ... समाप्त किया जाता है। प्रकरण ... नस्ती में दाखिल दफ्तर हो।

नि. हस्ते 21/8/25

उपखण्ड अधिकारी
... (...) राज.